

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

कार्यालय आदेश

संविका संख्या- ५४०-०१-१७०/२०१६ पार्ट-२

कार्यालय आदेश ज्ञापांक प्र०/३५८ दिनांक-११.०९.२०१७ को श्री उदय कुमार, पिता-श्री बिहारी प्रसाद, महल्ला-सरिसताबाद, पूर्वी टोला गर्दनीबाग, पटना-२ द्वारा लोहे का लॉकर, फोटो स्टेट मशीन, एवं अन्य लकड़ी एवं लोहे का सामग्री का निलामी में अधिकतम दर २,८८,२००/- (दो लाख अठारी हजार दो सौ) रुपये मात्र का रहने का कारण उक्त राशि को घेक द्वारा जमा कर उक्त सामग्रियों को ले जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने सामग्री ले जाने से इनकार किया एवं इनकार के सद्बंध में लिखित भी दिया गया। सामानों को नहीं ले जाने के कारण बोर्ड के पुराने भवनों को तोड़कर नया भवन बनाया जाने के कार्य में वापस पहुँचाया एवं बोर्ड की वित्तीय क्षति हुई इसलिए श्री उदय कुमार को काली सूची में छाला जाता है तथा भविध में किसी निविदा में भाग लेने के अधिकारी होगें। इसे बोर्ड के बैंकसाईट पर डाल दिया गया है।

६०

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- प्र०/५०५

पटना, दिनांक- २६/०९/२०१७

प्रतिलिपि :- श्री उदय कुमार, पिता-श्री बिहारी प्रसाद, महल्ला-सरिसताबाद, पूर्वी टोला, गर्दनीबाग, पटना-०२/प्रशास्त्रा पदाधिकारी (प्र०)/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र०)/रोकड़पाल/दिलीप कुमार, रात्रि प्रहरी/निर्गत प्रभारी गार्ड एवं निजी सचिका, खादी बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
२५/९/१७

विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश गवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या-590-01-170/2016 पट्ट-2

खादी बोर्ड झापांक रां०-३३८ दिनांक-०४.०९.२०१७ द्वारा श्री शंभु कुमार, महल्ला-रामनगर, पो०-जी०पी०३०, जिला-पटना को रद्दी कागजों का अधिकतम दर रु 2,50,000.०० (दो लाख पचास हजार) बोर्ड लगाने के आधार पर दिनांक- ०४.०९.२०१७ तक राशि जमा कर विकी करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने सामग्री ले जाने से इनकार किया एवं इनकार के संबंध में लिखित भी दिया गया। सामानों को नहीं ले जाने के कारण बोर्ड के पुराने भवनों को ठोड़कर नया भवन बनाया जाने के कार्य में वाधा पहुँचाया एवं बोर्ड की वित्तीय क्षति हुई इसलिए श्री शंभु कुमार को काली रूपी में डाला जाता है तथा भविष्य में किसी निदिदा में भाग लेने के अयोग्य होगे। इसे बोर्ड के देवसार्इट पर डाल दिया गया है।

—४९—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

झापांक- पट्ट/५०५

पटना, दिनांक- २६/०९/२०१७

प्रतिलिपि :- श्री शंभु कुमार, महल्ला-रामनगर, पो०-जी०पी०३०, पटना ०१/प्रशाखा पदाधिकारी (प्र०) / राहायक लेखा पदाधिकारी (प्र०) / रोकड़पाल / दिलीप कुमार, सत्रि प्रहरी/निर्गत प्रभारी गाड़ एवं निजी संचिका, खादी बोर्ड, पटना को सूखनार्थ एवं आदर्शकर्तार्थ प्रेषित।

—५०—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पट्ट/५०५